UPSR040008182026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

क्रिमिनल मिस/114/2026

विद्याधर बनाम. रामेन्द्र

दिनांक 10.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रा० पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S. पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S आवेदक विद्याधर की ओर से विपक्षीगण रामेन्द्र व अन्य के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कर संक्षेपतः यह कथन किया गया है कि दिनांक 08.02.2026 को समय करीब 10.00 बजे दिन विपक्षीगण रामेन्द्र, लवलेश कुमार व कमलापति पुत्रगण श्याम नरायन, सूरज पुत्र लवलेश कुमार व बड़का पत्नी आकाश आवेदक की जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा करने लगे। आवेदक के मान करने पर उसे मारने दौड़े तब आवेदक भागकर अपने घर में घुस गया तो सभी विपक्षीगण आवेदक के घर में घुसकर उसे लात मुक्का व थप्पड़ से मारने लगे। आवेदक के शोर पर गाँव के कल्लू व निर्मल आदि तमाम लोग मौके पर पहुँचकर उसे बचाया तब विपक्षीगण आवेदक को माँ–बहन की गन्दी–गन्दी गालियाँ व जान से मार डालने की धमकी देते हुए चले गये। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।

आवेदन–पत्र के समर्थन में आवेदक की ओर से स्वयं का शपथ पत्र तथा फेहरिस्त से पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना स्थानीय से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदन पत्र में वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत न होने का उल्लेख किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा– 173(4) B.N.S.S मजिस्ट्रेट की अन्वेषण हेतु

आदेश की शक्ति के सम्बन्ध में प्रावधानित करती है। विधि अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा– 173(4) B.N.S.S को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है। प्रस्तुत मामले में घटना से सम्बन्धित समस्त तथ्य आवेदक के संज्ञान में है, जिन्हें वह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष साबित करने में सक्षम है। विधिक प्रास्थिति के अनुसार धारा–173(4) B.N.S.S के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित तथ्य का उल्लेख करने मात्र से मजिस्ट्रेट प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश पारित करने हेतु बाध्य नहीं है। इस सन्दर्भ में **रामबाबू गुप्ता प्रति उ०प्र० राज्य 2001 ए०सी०सी०** एवं **प्रियंका श्रीवास्तव प्रति उ०प्र० राज्य 2015 एस०सी०सी०** में दी गयी विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय के अभिमत में प्रस्तुत मामले की जांच स्वयं न्यायालय द्वारा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत होने योग्य है।

आदेश

आवेदक विद्याधर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 B.N.S.S दिनांक 10.04.2026 को पेश हो। परिवादी अधिवक्ता सूचित हों।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।